ए-12026/12/2022-प्रशा I

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

रिक्ति परिपत्र

विषय: नीति आयोग में फ्लेक्सी पूल के तहत उद्योग और विदेशी निवेश प्रभाग में सीनियर लीड/लीड के पद पर भर्ती।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भारत का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के उत्प्रेरक और त्वरक के रूप में कई परिवर्तनात्मक पहलों में संलग्न है। नीति आयोग स्वंय को आवश्यक ज्ञान और कौशलों से युक्त एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार को कार्यनीतिक नीतिगत विज़न प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाएगा। इसे एक संबद्ध कार्यालय, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन संगठन (डीएमईओ), एक प्रमुख पहल, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निलर्ड) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है।

1. नीति और कार्यक्रम ढांचा
2. सहकारी संघवाद
3. अनुवीक्षण और मूल्यांकन
4. थिंक टैंक, तथा ज्ञान और नवाचार केंद्र

नीति आयोग को निम्नलिखित पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है:

पद का नाम / क्षेत्र	पदों की संख्या	भर्ती का तरीका
सीनियर लीड/लीड **(उद्योग और विदेशी निवेश)**	01	अनुबंध/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर

1. **पात्रता शर्तें:**

आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों तक होगी।

2. **भर्ती का तरीका:**

2.1 **अनुबंध:**

निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्श संगठनों, अंतरराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय संगठनों में समकक्ष स्तरों पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु और अनुभव रखते हों। अनुबंध के अन्य नियम और शर्तें 24.04.2019 की फ्लेक्सी पूल दिशा-निर्देशों (समय-समय पर संशोधित) तथा जहां भी लागू हो, भारत सरकार के अन्य नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगी।

नोट: ***अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारी नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले आवासीय आवास, सरकारी परिवहन, अवकाश नकदीकरण या अन्य किसी भी भत्ते/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाले अवकाश नियम संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में प्रो-राटा (अनुपातिक) आधार पर 18 दिनों के अवकाश का हकदार होगा।***

2.2 **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों (उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों में से।

नोट: ***सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी तथा अद्यतन परिपत्रों के अनुसार होंगी।***

3. **आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की इंस्टीट्यूशन परीक्षाओं के खंड क और ख में उत्तीर्ण या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (दो वर्ष)।

4. **आयु और अनुभव:**

संबंधित पदों के सामने यथाउल्लिखित नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में आयु और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष तक का समय शामिल हो सकता है, बशर्ते कि उन 3 वर्षों के दौरान किसी कार्य अनुभव की गणना न की गई हो) आवश्यक है।

5. वेतन और कार्यकाल:

पद का नाम (समकक्ष)	संविदात्मक (अनुबंध) नियुक्ति के लिए समेकित वेतन	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर:	अनुबंध की अवधि
सीनियर लीड (वरिष्ठ सलाहकार)	3,30,000/-रु.	स्तर-15 : 1,82,200/- - 2,24,100/-रु.	प्रारंभ में 3 वर्ष तक, जिसे आवश्यकताओं के आधार पर 5 वर्ष तक या 60 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकता है।
लीड (सलाहकार)	2,65,000/-रु.	स्तर-14 : 1,44,200/- - 2,18,200/-रु.	

नोट: ***सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी और अद्यतन किए गए परिपत्रों के अनुसार होंगी।***

6. वांछनीय शैक्षणिक अर्हता/अनुभव और रोजगार विवरण

अनुलग्नक-**"I"** के अनुसार

7. आयु और अनुभव:

क्र.सं.	पदों का नाम	आयु (संविदा नियुक्ति के लिए)	वर्षों में न्यूनतम अर्हता पश्च कार्यानुभव *
1	**सीनियर लीड** (वरिष्ठ सलाहकार)	40 वर्ष से कम नहीं लेकिन 52 वर्ष से अधिक न हो	18
2	**लीड** (सलाहकार)	35 वर्ष से कम नहीं लेकिन 50 वर्ष से अधिक न हो	15

**** प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।***

8. अर्हता शर्तें

(अंतिम तारीख के अनुसार) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए:)

क्र.सं.	पदों का नाम	जिन ग्रेड से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
1.	**सीनियर लीड (वरिष्ठ सलाहकार)**	i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 14 में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ और (ii) उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले।
2.	**लीड (सलाहकार)**	i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 13ए में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ या वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 13 में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ और (ii) उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले।

<u>सामान्य शर्तें:</u>

क. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों तथा अन्य गैर-सरकारी निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम से उपयुक्त प्रारूप में आवेदन करें।

ख. इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.08.2017 के का.ज्ञा. सं. 9/23/2014-ई.ओ(एसएम-।।), के साथ पठित दिनांक 16.7.2009 के का.ज्ञा. सं. 27/2/2009-ईओ(एसएम- ।।) को भी ध्यान में रखा जाए जिसके अनुसार, किसी पद के लिए विचार किए जाने के लिए किसी अभ्यर्थी के आवेदन के बाद अगर उस पर विचार किया जाता है और वह **मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी)** द्वारा चयनित भी हो जाता है तो सामान्यतः, वह नियुक्त किए जाने से इन्कार नहीं करेगा और अगर वह नियुक्ति से इन्कार करता है तो वह उक्त का.ज्ञा. के अनुसार कार्रवाई किए जाने का पात्र होगा/होगी।

ग. आवश्यक होने पर, अभ्यर्थियों को अपने आवेदनों में प्रस्तुत विवरणों का प्रमाण देना होगा।

घ. केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

ङ. व्यक्तिगत बातचीत के लिए आने-जाने का कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

च. किसी भी रूप में पैरवी निरर्हता मानी जाएगी।

छ. उल्लिखित निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और इनके होने मात्र से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

10. आवेदन का माध्यम:-

a. क. **संविदा आधार पर आवेदन करने वाले, अभ्यर्थियों के लिए:** अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीति आयोग की वेबसाइट के लिंक https://www.niti.gov.in/work-niti/opportunities और https://www.niti.gov.in/work-niti/vacancy-circular पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगे गए स्व-प्रमाणित सहायक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

(ख) **प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु:** आवेदन पत्र को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट-I, II, III)** में जो अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख अथवा हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, उचित माध्यम से **'अवर सचिव (प्रशासन । ए), नीति भवन, कमरा संख्या 416, नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001'** को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के अंदर अग्रेषित कर दिए जाएं।

(i) संबंधित अभ्यर्थी की पिछले पाँच उपलब्ध वर्षों की अद्यतन **एपीएआर डोजियर और एपीएआर ग्रेडिंग विवरण** (विधिवत सत्यापित);

(ii) विभाग/संगठन के सीवीओ द्वारा हस्ताक्षरित सतर्कता निकासी जो निर्धारित प्रारूप में हो; और

(iii) उप-सचिव अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

टिप्पणी:- ***अपूर्ण अथवा सहायक दस्तावेज रहित आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा/किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।***

शोयब

(शोयाबअहमद कलाल)
निदेशक (भर्ती)
दूरभाष: 23045170

अनुलग्नक-**"I"**

सीनियर लीड/लीड (स्तर 15/ स्तर 14 के समकक्ष) - उद्योग एवं विदेशी निवेश

क) रोजगार विवरण:

सीनियर लीड /लीड औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नीति आयोग में भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए नीतिगत पहलों को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्य उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और सतत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत सिफारिशों और कार्यनीतिक अंतक्षेपों को तैयार करना।
2. घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने, एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करने और निवेश के लिए नियामक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत ढांचे विकसित करना और उपायों की सिफारिश करना।
3. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए अवसरों की पहचान करना और कार्यनीतियां तैयार करना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रसायन और अन्य कार्यनीतिक उद्योगों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में।
4. उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजारों तक पहुंच और प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और विभिन्न सरकारी प्रयासों के अभिसरण को बढ़ाने पर केन्द्रित करने के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समग्र विकास के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।
5. औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और आर्थिक विकास की दिशा में समन्वित प्रयासों को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, उद्योग संघों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ना।
6. संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वय से विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, एमएसएमई और ई-कॉमर्स से संबंधित नीतियों और कार्यनीतियों के निर्माण में योगदान और जांच करना।

7. प्रासंगिक क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने, उभरते रुझानों का आकलन करने, नीतिगत कमियों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित सिफारिशें एवं कार्यनीतिक पहल विकसित करने के लिए अनुसंधान संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों और ज्ञान भागीदारों के साथ सहयोग करना।
8. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं नीतिगत पहलों का परीक्षण करना तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश के माहौल में सुधार करने और सरकार के व्यापक आर्थिक विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट, टिप्पणियां और सिफारिशें प्रदान करना।
9. उद्योग, विनिर्माण, एमएसएमई, विदेशी निवेश और ई-कॉमर्स से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने, नीतिगत समन्वय को सुगम बनाने और कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, समिति की बैठकों, हितधारक चर्चाओं और अन्य प्रासंगिक मंचों में भाग लेना।
10. उद्योग और विदेशी निवेश के क्षेत्र से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

<u>ख) वांछनीय अनुभव:</u> उद्योग/एमएसएमई/विदेशी निवेश के क्षेत्र में न्यूनतम 18 वर्ष का अनुभव (वरिष्ठ लीड के लिए)/15 वर्ष (लीड के लिए) के साथ-साथ वरिष्ठ, नेतृत्व या प्रबंधकीय क्षमता में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

<u>(ग) वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं:</u> इंजीनियरिंग/वित्त/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कार्यनीति/अंतर्राष्ट्रीय संबंध/अर्थशास्त्र या अर्थमिति के क्षेत्र में पीएचडी।